वित्तीय स्वीकृति

संख्या-10/2018/396/18-2-2018-30(26)/2003

प्रेषक

पन्ना लाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

विषयः- उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु तकनीकी उन्नयन योजना् हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के पत्र संख्या-32/17/एम0एस0एम0ई0/बजट/2018-19, दिनांक 05-4-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु तकनीकी उन्नयन योजनान्तर्गत् चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने एवं नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त आवंटित धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा उपयोग केवल इंगित मानक मद में ही किया जायेगा एवं किसी भी दशा में किसी अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा। धनराशि के व्यय से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन के संबंधित अनुभागों को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-16-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4

5- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2

6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।